





INTRODUCTION TO LAW (338)

CHAPTERWISE NOTES



INTRODUCTION TO LAW

Sl. No.	Module	Chapters (Public Examination)	Marks
1	Module 1 : Concept of Law	L-3 Personal Law I: Hindu Law and Muslim Law L-4 Personal Law II: Christian, Parsi and Jewish Law	12
2	Module 3 : Classification of Law	L-11 Substantive Law and Procedural or Adjective Law L-12 Public and Private Law	16
3	Module 5 : The Constitution of India-I	L-18 Constitutionalism and Preamble L-19 Fundamental Rights and Duties L-20 Directive Principles of State Policy	20

Component	Details	Marks
Public Exam (Selected Modules 1, 3, 5)	Total Chapters : 7	48
Practical Exam	Practical	00
TMA	Tutor Marked Assignment	20
Final Possible Marks		68 Marks

विषय- सूची

1	व्यक्तिगत या पर्सनल विधि: हिन्दू और मुस्लिम कानून
2	निजी या वैयक्तिक कानून - ईसाई, पारसी तथा यहूदी कानून
3	अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक या अवलम्बित कानून
4	सार्वजनिक कानून या जन-कानून और निजी कानून
5	संविधानवाद एवं प्रस्तावना
6	मौलिक अधिकार और कर्तव्य
7	राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त

1

व्यक्तिगत या पर्सनल विधि: हिन्दू और मुस्लिम कानून

परिचय

भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है, इसलिए यहाँ व्यक्तिगत कानून धर्म और मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये कानून मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संपत्ति से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से हिन्दू कानून और मुस्लिम कानून का अध्ययन किया जाता है।


शब्दों के अर्थ

हिन्दू

- वह व्यक्ति जो धर्म से हिन्दू, जैन, सिख या बौद्ध हो।
- जो हिन्दू माता-पिता से जन्मा हो।
- जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है और किसी अन्य कानून से शासित नहीं है।

मुस्लिम

- वह व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का अनुयायी हो।
- मुस्लिम दो प्रकार से हो सकता है:
 - जन्म से मुस्लिम
 - धर्म परिवर्तन से मुस्लिम



हिन्दू और मुस्लिम कानून के स्रोत

हिन्दू कानून के स्रोत

1. प्राचीन स्रोत

- वेद
- स्मृतियाँ

• टीका-टिप्पणियाँ और नीतिग्रंथ

• रीति-रिवाज


2. आधुनिक स्रोत

• न्याय, निष्पक्षता और शुद्ध अंतःकरण

• न्यायिक निर्णय

• विधान (Acts)

- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
- हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956



मुस्लिम कानून के स्रोत

- कुरान – इस्लाम का सबसे पवित्र और मूल स्रोत।
- सुन्ना और हदीस – पैगंबर के कथन और आचरण।
- इज्मा – विद्वानों की सामूहिक सहमति।
- कियास – तर्क और समानता के आधार पर निर्णय।
- रीति-रिवाज
- विधान
- न्यायिक निर्णय
- न्याय, समानता और शुद्ध अंतःकरण

विवाह और विवाह-विच्छेद से संबंधित कानून

हिन्दू कानून के अंतर्गत विवाह और विवाह-विच्छेद


विवाह

- हिन्दू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है।
- इसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और धार्मिक कर्तव्यों का पालन है।



वैध हिन्दू विवाह के आवश्यक तत्व

1. विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित पति/पत्नी न हो।
2. दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ हों।
3. विवाह की आयु
 - पुरुष – 21 वर्ष
 - महिला – 18 वर्ष
4. दोनों पक्ष प्रतिबंधित संबंध में न हों।
5. दोनों पक्ष सपिंडा संबंध में न हों।



सपिंडा संबंध: जब दो व्यक्ति समान पूर्वज से संबंधित हों और निर्धारित पीढ़ियों के भीतर आते हों।

बाल विवाह: वह विवाह जिसमें लड़का 21 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम हो।

विवाह-विच्छेद (तलाक) के आधार:

- परस्त्रीगमन- विवाह के बाद पति या पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना।
- क्रूरता- ऐसा व्यवहार जिससे पति या पत्नी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचे।
- परित्याग- बिना उचित कारण और बिना सहमति के पति या पत्नी का दूसरे को छोड़ देना।
- धर्म परिवर्तन- पति या पत्नी में से किसी एक का अपना धर्म बदल लेना।
- पागलपन- पति या पत्नी में से किसी एक का गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित होना।


मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह और विवाह-विच्छेद

विवाह (निकाह)

- मुस्लिम कानून में विवाह नागरिक अनुबंध है।
- उद्देश्य संतान को वैधता देना है।

वैध निकाह के आवश्यक तत्व

- पक्षों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना।
- दोनों पक्षों द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति।
- दो गवाहों की उपस्थिति।



- प्रस्ताव और स्वीकृति स्पष्ट शब्दों में हो।
- मेहर की शर्त।

विवाह-विच्छेद (तलाक)

- पति द्वारा तलाक दिया जा सकता है।
- प्रारंभ में पत्नी को तलाक का अधिकार नहीं था।
- मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के बाद पत्नी भी न्यायालय के माध्यम से तलाक ले सकती है।

उत्तराधिकार पर हिन्दू और मुस्लिम कानून

उत्तराधिकार पर हिन्दू कानून

उत्तराधिकार: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरण।

उत्तराधिकार के प्रकार

1. **वसीयती उत्तराधिकार:** वसीयत के आधार पर संपत्ति का स्थानांतरण।
2. **निर्वसीयत उत्तराधिकार:** बिना वसीयत के मृत्यु होने पर कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा।


मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार

1. संपत्ति का स्थानांतरण

- वसीयती उत्तराधिकार
- निर्वसीयत उत्तराधिकार (वंशानुक्रम)

2. मृतक की संपत्ति पहले

- अंतिम संस्कार खर्च
- ऋण भुगतान
- अन्य दायित्व



चुकाने के बाद वारिसों में बाँटी जाती है।

विरासत पर मुस्लिम और हिन्दू कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण

- मुस्लिम कानून में संपत्ति का एक ही प्रकार माना जाता है।
- हिन्दू कानून में पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति का भेद होता है।



- मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार संपत्ति की अवधारणा नहीं होती।
- हिन्दू कानून में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की अवधारणा है।
- मुस्लिम कानून में जन्म से संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता।
- हिन्दू कानून में जन्म से संपत्ति का अधिकार मिल सकता है।
- मुस्लिम कानून प्रतिनिधित्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. व्यक्तिगत कानून क्या है?

उत्तर- व्यक्तिगत कानून वह कानून है जो व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसके निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संपत्ति से संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है।

प्रश्न-2. हिन्दू कानून के प्रमुख स्रोत क्या हैं?

उत्तर- हिन्दू कानून के प्रमुख स्रोत हैं – वेद, स्मृतियाँ, टीका-टिप्पणियाँ, रीति-रिवाज, न्यायिक निर्णय, न्याय-निष्पक्षता के सिद्धांत और विभिन्न विधान जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम।

प्रश्न-3. वैध हिन्दू विवाह के आवश्यक तत्व क्या हैं?

उत्तर- वैध हिन्दू विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों का जीवित पति-पत्नी न हो, वे मानसिक रूप से स्वस्थ हों, निर्धारित आयु पूरी हो, तथा वे प्रतिबंधित संबंध और सपिंडा संबंध में न हों।

प्रश्न-4. मुस्लिम कानून में विवाह (निकाह) क्या है?

उत्तर- मुस्लिम कानून में निकाह एक नागरिक अनुबंध है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति, गवाहों की उपस्थिति तथा मेहर की शर्त के साथ विवाह संपन्न होता है। इसका उद्देश्य संतान को वैधता देना है।

प्रश्न-5. उत्तराधिकार क्या है?

उत्तर- उत्तराधिकार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों को स्थानांतरित होती है। यह वसीयत के आधार पर या बिना वसीयत के कानून के अनुसार हो सकता है।



2

निजी या वैयक्तिक कानून - ईसाई, पारसी तथा यहूदी कानून

परिचय

भारत की कानूनी व्यवस्था में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिन्दू और मुस्लिम कानून के अलावा ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के भी अपने व्यक्तिगत कानून हैं। ये कानून मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं।

ईसाई, पारसी और यहूदी कानून में रीति-रिवाजों की भूमिका


ईसाई कानून में रीति-रिवाजों की भूमिका

- **रीति-रिवाज** – समाज में लंबे समय से प्रचलित परंपराएँ जिन्हें कानून मान्यता देता है।
- भारत में ईसाई समुदाय के जीवन और कानून में रीति-रिवाजों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- ईसाई विवाह सामान्यतः **धार्मिक संस्कार** माना जाता है।
- विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि विषयों पर चर्च के नियम और परंपराएँ लागू होती हैं।
- **भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872** द्वारा विवाह संबंधी नियम निर्धारित किए गए।
- **भारतीय तलाक अधिनियम, 1869** द्वारा तलाक के नियम बनाए गए।
- कुछ क्षेत्रों में ईसाई समुदाय स्थानीय **हिन्दू रीति-रिवाजों** का भी पालन करते हैं।

पारसी कानून में रीति-रिवाजों की भूमिका

विवाह से संबंधित रीति-रिवाज

- पारसी लोग **जोरोस्ट्रियन धर्म** का पालन करते हैं।
- बच्चे को धर्म में प्रवेश दिलाने के लिए **नवजोत संस्कार** किया जाता है।
- विवाह समारोह सूर्यास्त के बाद धार्मिक विधियों से सम्पन्न होता है।
- विवाह के समय पुजारी द्वारा धार्मिक प्रार्थनाएँ कराई जाती हैं।



- **हथेवरो (हाथ बाँधने की रस्म)** विवाह का महत्वपूर्ण भाग है।
- पारसी केवल जन्म से ही पारसी माने जाते हैं।
- पारसी महिला यदि गैर-पारसी पुरुष से विवाह करे तो उसे पारसी समुदाय के अधिकार नहीं मिलते।

दत्तक ग्रहण से संबंधित रीति-रिवाज


- पारसी समुदाय में **दत्तक ग्रहण** की एक विशेष परंपरा होती है।
- दत्तक पुत्र को **पलक** कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों को निभाना होता है।
- दत्तक पुत्र को पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं मिलते।

उत्तराधिकार से संबंधित रीति

- पहले पारसी पंचायत द्वारा विवादों का निर्णय किया जाता था।
- उत्तराधिकार और संपत्ति संबंधी मामलों में पारंपरिक नियम लागू होते थे।

यहूदी कानून में रीति-रिवाजों का महत्व

- यहूदी समुदाय **जुडाइज़्म** धर्म का पालन करता है।
- यहूदी कानून का मुख्य स्रोत **मोसेस संहिता** है।
- बाद में कानूनों को **तल्मूड** में व्यवस्थित किया गया।
- तल्मूड दो भागों में विभाजित है:



- मिशना
- गेमारा

विवाह संबंधी रीति-रिवाज

- यहूदी कानून में विवाह एक **नागरिक और धार्मिक संबंध** माना जाता है।
- विवाह दो चरणों में सम्पन्न होता है:
- सगाई
- विवाह संस्कार



- सगाई के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।
- सगाई के समय विशेष औपचारिकताएँ होती हैं:
 - कसेफ – धन या वस्तु देना
 - शतर – लिखित पत्र

तलाक संबंधी रीति

यहूदी कानून तलाक को मान्यता देता है। तलाक के प्रकार:

- आपसी सहमति से तलाक
- पति के अनुरोध पर तलाक
- पत्नी के अनुरोध पर तलाक
- कानून द्वारा तलाक



उत्तराधिकार और विरासत

- यहूदी उत्तराधिकार के नियम धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित हैं।
- बाद में कुछ मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू हुआ।

ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म में विधान और न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका

ईसाई धर्म में विधान तथा न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका

विवाह का विधान

- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 द्वारा विवाह के नियम निर्धारित किए गए।
- यह अधिनियम ईसाई विवाह की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- विवाह चर्च में धार्मिक विधियों के अनुसार सम्पन्न किया जाता है।



तलाक का विधान

- भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 द्वारा तलाक के नियम बनाए गए।
- 2001 में संशोधन के बाद आपसी सहमति से तलाक की अनुमति दी गई।



दत्तक ग्रहण का विधान

- ईसाइयों के लिए पहले दत्तक ग्रहण का कोई विशेष कानून नहीं था।
- वे **गार्डियन एंड वार्ड्स अधिनियम** के तहत संरक्षण प्राप्त करते थे।
- बाद में **किशोर न्याय अधिनियम** के तहत दत्तक ग्रहण संभव हुआ।

उत्तराधिकार का विधान

ईसाइयों के उत्तराधिकार के मामले **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925** द्वारा नियंत्रित होते हैं।

न्यायिक पूर्व-निर्णय

- न्यायालयों के निर्णयों ने ईसाई कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- विवाह, तलाक और अन्य पारिवारिक विवादों में न्यायालय अंतिम निर्णय देता है।

पारसी कानून पर विधान और उनकी न्यायिक समीक्षा

विवाह और तलाक का विधान

- **पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936** लागू किया गया।
- 1988 में इसमें संशोधन किया गया।

विवाह के अवैध होने की स्थितियाँ

- पक्षों का निषिद्ध संबंध में होना।
- विवाह पारसी धार्मिक विधियों के अनुसार न होना।
- विवाह के समय निर्धारित आयु पूरी न होना।

तलाक के आधार

- विवाह का पूर्ण न होना
- मानसिक बीमारी
- विवाह के समय गर्भावस्था
- परस्त्रीगमन
- क्रूरता




- यौन रोग
- सात वर्ष की सजा
- दो वर्ष तक लापता होना
- अलग रहना
- धर्म परिवर्तन
- आपसी सहमति से तलाक

न्यायालय

पारसी विवाह संबंधी मामलों के लिए विशेष **पारसी वैवाहिक न्यायालय** स्थापित किए गए।

दत्तक ग्रहण का कानून

- पारसी समुदाय के लिए दत्तक ग्रहण का कोई अलग अधिनियम नहीं है।
- धार्मिक उद्देश्य से दत्तक ग्रहण किया जाता है।



उत्तराधिकार का कानून

पारसी उत्तराधिकार के मामले **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925** द्वारा नियंत्रित होते हैं।

यहूदी कानून में विधान तथा न्यायिक पूर्व-निर्णय की भूमिका

- भारत में यहूदियों के विवाह के लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं है।
- इसलिए न्यायालयों के **न्यायिक पूर्व-निर्णय** महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- विवाह, तलाक और अन्य पारिवारिक विवादों में न्यायालय यहूदी परंपराओं को ध्यान में रखकर निर्णय देता है।



TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. ईसाई कानून में रीति-रिवाजों की क्या भूमिका है?

उत्तर- ईसाई समुदाय में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में चर्च की परंपराएँ और रीति-रिवाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन परंपराओं को भारतीय कानून ने भी मान्यता दी है और कई नियम बाद में अधिनियमों के माध्यम से व्यवस्थित किए गए।

प्रश्न-2. पारसी विवाह की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर- पारसी विवाह धार्मिक विधियों के अनुसार पुजारी की उपस्थिति में सम्पन्न होता है। इसमें पारसी रीति-रिवाजों का पालन अनिवार्य होता है और विवाह के समय दोनों पक्षों की निर्धारित आयु तथा वैध संबंध आवश्यक होते हैं।

प्रश्न-3. यहूदी कानून के मुख्य स्रोत क्या हैं?

उत्तर- यहूदी कानून के प्रमुख स्रोत **मोसेस संहिता** और **तल्मूड** हैं। तल्मूड में धार्मिक नियम, परंपराएँ और सामाजिक जीवन से जुड़े कानूनों का विस्तृत वर्णन मिलता है।

प्रश्न-4. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 का उद्देश्य क्या है?

उत्तर- इस अधिनियम का उद्देश्य पारसी समुदाय के विवाह और तलाक संबंधी नियमों को व्यवस्थित करना है। यह विवाह की वैधता, तलाक के आधार और न्यायालय की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

प्रश्न-5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का महत्व क्या है?

उत्तर- यह अधिनियम भारत में ईसाई और पारसी समुदाय के उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत संपत्ति के वितरण और वारिसों के अधिकारों से जुड़े नियम निर्धारित किए गए हैं।



3

अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक या अवलम्बित कानून

परिचय

कानून की दो महत्वपूर्ण शाखाएँ अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून हैं। अधिष्ठायी कानून लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जबकि प्रक्रियात्मक कानून यह बताता है कि इन अधिकारों को न्यायालय में कैसे लागू किया जाएगा। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

अधिष्ठायी कानून की तुलना में प्रक्रियात्मक कानून – न्यायिक दृष्टिकोण

जेरेमी बेंथम के अनुसार: अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून को स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है।

हॉलैंड के अनुसार: कानून उन अधिकारों को परिभाषित करता है जिन्हें संरक्षण मिलेगा और उन्हें लागू करने का तरीका भी बताता है।

सेल्मंड के अनुसार

- अधिष्ठायी कानून अधिकारों को परिभाषित करता है।
- प्रक्रियात्मक कानून उनके उपचार (Remedies) को निर्धारित करता है।

कुछ विधिशास्त्रियों के अनुसार: दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।


अधिष्ठायी कानून का अर्थ और प्रकृति

अधिष्ठायी कानून

वह कानून जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

यह कानून

- गलत कार्यों और अपराधों को परिभाषित करता है।
- उनके उपचार और दंड को निर्धारित करता है।



- व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध को नियंत्रित करता है।

अधिष्ठायी सिविल कानून

- सिविल कानून में निजी गलत कार्य शामिल होते हैं।

- यह निर्धारित करता है

- अनुबंध के आवश्यक तत्व।
- संपत्ति से संबंधित अधिकार।
- नागरिकों के कानूनी दायित्व।



- भारत में अधिष्ठायी सिविल कानून से संबंधित प्रमुख अधिनियम:

- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
- विशिष्ट अनुतोष अधिनियम
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

अधिष्ठायी आपराधिक कानून

- अपराध और उनके दंड को निर्धारित करता है।
- भारत में प्रमुख कानून: भारतीय दंड संहिता (IPC)
- इसमें अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान होता है।



प्रक्रियात्मक कानून का अर्थ और प्रकृति


प्रक्रियात्मक कानून

वह कानून जो अधिकारों के प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया की विधि निर्धारित करता है।



यह निर्धारित करता है

- मुकदमा कैसे दायर होगा।
- न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी।
- साक्ष्य और निर्णय की प्रक्रिया।



प्रक्रियात्मक कानून की प्रमुख विशेषताएँ

- कानून के प्रवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- मुकदमे की कार्यवाही के नियम बताता है।
- अधिकारों के उल्लंघन पर उपाय प्राप्त करने की प्रक्रिया बताता है।
- पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही को नियंत्रित करता है।

प्रक्रियात्मक सिविल कानून

- सिविल मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों को निर्धारित करता है।
- यह निर्धारित करता है
 - मुकदमा कैसे शुरू होगा।
 - साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - निर्णय कैसे दिया जाएगा।
- भारत में प्रमुख कानून: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून

1. अपराधों की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
2. इसमें शामिल हैं
 - गिरफ्तारी
 - जांच



- जमानत
- मुकदमा
- निर्णय

3. भारत में प्रमुख कानून: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून के बीच अंतर

अधिष्ठायी कानून

- अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
- अपराध और दंड को परिभाषित करता है।
- व्यक्ति और राज्य के संबंध को नियंत्रित करता है।



प्रक्रियात्मक कानून

- न्यायालय की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- मुकदमे की कार्यवाही के नियम बताता है।
- अधिष्ठायी कानून को लागू करने का तरीका बताता है।

अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून – पूर्वव्यापी और प्रत्याशित

- सामान्यतः प्रक्रियात्मक कानून पूर्वव्यापी होते हैं।
- न्यायालय ने निर्णय दिया है कि
 - प्रक्रियात्मक कानून का उपयोग पुराने मामलों में भी किया जा सकता है।
- परंतु
 - अधिष्ठायी कानून सामान्यतः प्रत्याशित होते हैं।

प्रक्रियात्मक और अधिष्ठायी नियम/सिद्धांतों का समीकरण

- कई बार दोनों कानूनों के नियम समान दिखाई देते हैं।



- उदाहरण के रूप में
 - साक्ष्य से संबंधित नियम।
 - न्यायालय की प्रक्रिया से जुड़े नियम।
- इसलिए दोनों के बीच अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. अधिष्ठायी कानून क्या है?

उत्तर- अधिष्ठायी कानून वह कानून है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है तथा अपराध और गलत कार्यों को परिभाषित करके उनके दंड और उपचार का प्रावधान करता है।

प्रश्न-2. प्रक्रियात्मक कानून क्या है?

उत्तर- प्रक्रियात्मक कानून वह कानून है जो न्यायालय की प्रक्रिया और अधिकारों के प्रवर्तन की विधि निर्धारित करता है। यह बताता है कि मुकदमा कैसे दायर होगा, साक्ष्य कैसे प्रस्तुत होंगे और न्याय कैसे दिया जाएगा।

प्रश्न-3. अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून में क्या अंतर है?

उत्तर- अधिष्ठायी कानून अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जबकि प्रक्रियात्मक कानून उन अधिकारों को लागू करने की न्यायिक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

प्रश्न-4. अधिष्ठायी सिविल कानून क्या है?

उत्तर- अधिष्ठायी सिविल कानून वह कानून है जो व्यक्तियों के बीच कानूनी संबंधों, अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है तथा अनुबंध, संपत्ति और निजी गलत कार्यों से संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है।

प्रश्न-5. प्रक्रियात्मक कानून के उदाहरण क्या हैं?

उत्तर- भारत में प्रक्रियात्मक कानून के प्रमुख उदाहरण हैं – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, और परिसीमा अधिनियम, 1963।



4

सार्वजनिक कानून या जन-कानून और निजी कानून

परिचय

किसी भी कानूनी व्यवस्था में कानून मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है - सार्वजनिक कानून और निजी कानून। सार्वजनिक कानून राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, जबकि निजी कानून व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

जन कानून का अर्थ और प्रकृति

जन कानून

कानून का वह भाग जो राज्य (सरकार) और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

- यह समाज को प्रभावित करने वाले विषयों को नियंत्रित करता है।
- जन कानून के अंतर्गत मुख्य विषय:

- संवैधानिक कानून
- प्रशासनिक कानून
- आपराधिक कानून
- आपराधिक प्रक्रिया



1. संवैधानिक कानून

वह कानून जो राज्य की राजनीतिक संरचना और शक्तियों को निर्धारित करता है।

यह निर्धारित करता है

- सरकार की संरचना



- शक्तियाँ और दायित्व
- नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारत में इसका आधार **भारतीय संविधान** है।

2. प्रशासनिक कानून

वह कानून जो सरकारी प्रशासन और उसकी शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करता है।

यह निर्धारित करता है

- प्रशासनिक एजेंसियों के कार्य
- सरकारी निर्णय और आदेश
- प्रशासनिक प्रक्रियाएँ



प्रशासनिक एजेंसियाँ नियम, आदेश और निर्णय के माध्यम से इसे लागू करती हैं।

3. आपराधिक कानून

वह कानून जो समाज के विरुद्ध किए गए अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है।

- अपराध को **राज्य या समाज के विरुद्ध गलत कार्य** माना जाता है।
- अपराध के मामलों में कार्यवाही **राज्य द्वारा** की जाती है।

निजी या व्यक्तिगत कानून का अर्थ और प्रकृति

निजी कानून

वह कानून जो **व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच कानूनी संबंधों** को नियंत्रित करता है।

- इसमें राज्य की भूमिका
 - केवल विवादों का **न्यायिक समाधान** करना होती है।

निजी मौलिक कानून

निजी कानून का अध्ययन विभिन्न **मौलिक अधिकारों** से शुरू होता है।



सामान्य मौलिक अधिकार

- ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होते हैं।

व्यक्तिबंध अधिकार

- ऐसे अधिकार जो किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध लागू होते हैं।

उपचारात्मक अधिकार

- ऐसे अधिकार जिनका उद्देश्य क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति प्राप्त करना होता है।

असामान्य मौलिक अधिकार

- ये अधिकार सामान्य व्यक्तियों या कृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित हो सकते हैं।

निजी गुणात्मक कानून

1. निजी गुणात्मक कानून वह कानून है जो **मुकदमा करने या मुकदमा झेलने की प्रक्रिया** को निर्धारित करता है।
2. यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्तियों पर लागू हो सकता है।
3. निजी कानून मुख्य रूप से निम्न विषयों से संबंधित है:

- संविदा का कानून
- सिविल गलत कार्यों का कानून
- संपत्ति का कानून
- उत्तराधिकार का कानून
- पारिवारिक कानून



लोक कानून और निजी कानून में अंतर

लोक कानून	निजी कानून
राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।	व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
इसमें राज्य एक पक्ष के रूप में शामिल होता है।	राज्य केवल मध्यस्थ के रूप में होता है।
इसमें पक्षों की स्थिति असमान होती है।	इसमें पक्षों की स्थिति समान होती है।
मुख्य क्षेत्र – संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, आपराधिक कानून	मुख्य क्षेत्र – संपत्ति, अनुबंध, पारिवारिक संबंध

लोक और निजी कानून के अंतर को निर्धारित करने वाले सिद्धांत

हित सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार

- सार्वजनिक हित से संबंधित कानून → **लोक कानून**
- व्यक्तिगत हित से संबंधित कानून → **निजी कानून**



अधीनता सिद्धांत

- यदि संबंध **उच्च और अधीन** के बीच हो → लोक कानून
- यदि संबंध **समान पक्षों** के बीच हो → निजी कानून

विषय सिद्धांत

- यदि संबंध में **राज्य एक सार्वजनिक प्राधिकरण** के रूप में कार्य करता है → लोक कानून
- अन्यथा → निजी कानून



कानून को आकार प्रदान करने में न्यायाधीशों की भूमिका

- सामान्य कानून प्रणाली में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- न्यायाधीश
 - पूर्व निर्णयों का पालन करते हैं।
 - समान मामलों में उन निर्णयों को लागू करते हैं।
- कई मामलों में न्यायालय के निर्णयों से नए कानूनी सिद्धांत विकसित होते हैं।
- न्यायाधीशों की भूमिका
 - कानून की व्याख्या करना
 - अस्पष्ट कानूनों को स्पष्ट करना
 - न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना



TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. जन कानून क्या है?

उत्तर- जन कानून वह कानून है जो राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है तथा समाज के सार्वजनिक हित से जुड़े विषयों जैसे संवैधानिक, प्रशासनिक और आपराधिक कानून को शामिल करता है।

प्रश्न-2. निजी कानून क्या है?

उत्तर- निजी कानून वह कानून है जो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच कानूनी संबंधों को नियंत्रित करता है। इसमें राज्य केवल न्यायिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और विवादों का समाधान करता है।

प्रश्न-3. संवैधानिक कानून क्या है?

उत्तर- संवैधानिक कानून वह कानून है जो राज्य की राजनीतिक संरचना, सरकार की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है। भारत में इसका मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है।



प्रश्न-4. लोक कानून और निजी कानून में क्या अंतर है?

उत्तर- लोक कानून राज्य और नागरिकों के संबंधों को नियंत्रित करता है तथा इसमें राज्य एक पक्ष होता है। निजी कानून व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है और इसमें राज्य केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न-5. कानून के विकास में न्यायाधीशों की क्या भूमिका है?

उत्तर- न्यायाधीश कानून की व्याख्या करते हैं, पूर्व निर्णयों को लागू करते हैं और कई मामलों में अपने निर्णयों के माध्यम से नए कानूनी सिद्धांत विकसित करते हैं, जिससे कानून का विकास होता है।



5

संविधानवाद एवं प्रस्तावना

परिचय

संविधान किसी देश के शासन का मूल आधार होता है और यह सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान की शुरुआत **प्रस्तावना** से होती है, जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य और मूल सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं।

संविधानवाद

संविधान

वह दस्तावेज जो किसी राज्य के शासन की संरचना, शक्तियाँ और नागरिक-सरकार के संबंधों को निर्धारित करता है।

संविधान

- राज्य के शासन का आधार प्रदान करता है।
- कानूनों और नियमों के अनुसार राज्य को संचालित करता है।

संविधानवाद

संवैधानिक सरकार और संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास को संविधानवाद कहा जाता है।

इसके अंतर्गत

- सरकार लिखित संविधान द्वारा नियंत्रित होती है।
- शासन संविधान के नियमों के अनुसार चलता है।


संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना

प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय है।

प्रस्तावना

- संविधान की **मार्गदर्शिका** मानी जाती है।
- संविधान के उद्देश्य और मूल सिद्धांत बताती है।



प्रस्तावना के घटक

- संविधान की सत्ता का स्रोत

संविधान की शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है।

- राज्य का स्वरूप

भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

- संविधान के उद्देश्य

- न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
- स्वतंत्रता
- समानता
- बंधुता

- संविधान को अंगीकृत करने की तिथि: 26 नवम्बर 1949



प्रस्तावना : क्या यह संविधान का अंग है

प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है

- सर्वोच्च न्यायालय ने बेहरूबारी मामला (1960) में कहा

- प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।

- न्यायालय के अनुसार

- प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है।
- यह केवल संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को स्पष्ट करती है।



प्रस्तावना संविधान का अंग है

- केशवानंद भारती मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा

- प्रस्तावना संविधान का अंग है।

- न्यायालय के अनुसार

- प्रस्तावना संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण है।



प्रस्तावना की भूमिका

- संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।
- संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन देती है।
- संविधान की मूल भावना को व्यक्त करती है।
- संविधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है।



प्रस्तावना का व्याख्यात्मक महत्व

- संविधान के **व्याख्याकार** के रूप में कार्य करती है।
- अन्य कानूनों की व्याख्या में सहायता करती है।
- अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों और घोषणाओं की व्याख्या में सहायक होती है।

संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।
- संविधान के प्रावधानों को समझने में सहायता करती है।
- मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के अर्थ को स्पष्ट करती है।
- संविधान की मूल संरचना को समझने में मदद करती है।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. संविधान क्या है?

उत्तर- संविधान वह दस्तावेज है जो किसी राज्य की शासन व्यवस्था, सरकार की शक्तियों तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यह देश के मूल कानून के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न-2. संविधानवाद से क्या अभिप्राय है?

उत्तर- संविधानवाद का अर्थ संवैधानिक सरकार और संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास रखना है, जिसके अंतर्गत सरकार संविधान के नियमों और सीमाओं के अनुसार कार्य करती है।



प्रश्न-3. प्रस्तावना क्या है?

उत्तर- प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य और मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और यह संविधान की मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है।

प्रश्न-4. प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर- प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य हैं – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, अवसरों की समानता प्रदान करना और सभी नागरिकों में बंधुता की भावना विकसित करना।

प्रश्न-5. प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या में क्या महत्व है?

उत्तर- प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन प्रदान करती है और संविधान के उद्देश्यों तथा मूल सिद्धांतों को समझने में सहायता करती है।



6

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

परिचय

भारत के संविधान में नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो व्यक्ति के विकास और स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक हैं। इनके साथ ही नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि समाज और राष्ट्र का संतुलित विकास हो सके।

आवश्यकता और महत्व


- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं ने **मौलिक अधिकारों की आवश्यकता** महसूस की।
- इसलिए संविधान में नागरिकों के अधिकारों को **विशेष संरक्षण** दिया गया।

मौलिक अधिकार

संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

- ये अधिकार **संविधान द्वारा प्रदत्त** हैं।
- इनका संरक्षण **न्यायालय द्वारा** किया जाता है।
- साधारण कानून से **ऊँचे स्तर** के अधिकार हैं।
- इनके उल्लंघन पर न्यायालय में **उपचार प्राप्त किया जा सकता है**।



मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग III** में मौलिक अधिकार दिए गए हैं।

मुख्य मौलिक अधिकार:

- (A) समानता का अधिकार
- (B) स्वतंत्रता का अधिकार
- (C) शोषण के विरुद्ध अधिकार




- (D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- (E) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- (F) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(A) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- कानून के सामने **समानता** और **समान संरक्षण** की गारंटी देता है।
- राज्य किसी भी नागरिक के साथ **धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान** आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

मुख्य प्रावधान

- सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में **समानता**।
- सरकारी नौकरियों में **समान अवसर**।
- **अस्पृश्यता का उन्मूलन**।
- उपाधियों का **समाप्त किया जाना**।



(B) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

स्वतंत्रता का अधिकार

व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएँ

- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता
- संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता
- देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता
- देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता
- व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता



जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20-22 व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा देते हैं।




शिक्षा का अधिकार

• अनुच्छेद 21A

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

(C) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- मानव तस्करी और बेगार (जबरन श्रम) पर प्रतिबंध।
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर रोक।



(D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- धार्मिक संस्थाएँ अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकती हैं।
- किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(E) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

- अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार।
- उन्हें अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने की स्वतंत्रता।

(F) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा।



प्रमुख रिट

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- अधिकार पृच्छा
- उत्प्रेषण



मौलिक कर्तव्य

- 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।
- संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं।

प्रमुख मौलिक कर्तव्य

- संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- देश की रक्षा करना।
- सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना।
- पर्यावरण की रक्षा करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
- 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना।



TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. मौलिक अधिकार क्या हैं?

उत्तर- मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं और जिनका संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं।

प्रश्न-2. समानता का अधिकार क्या है?

उत्तर- समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और समान संरक्षण प्रदान करता है तथा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

प्रश्न-3. स्वतंत्रता के अधिकार में कौन-कौन सी स्वतंत्रताएँ शामिल हैं?

उत्तर- स्वतंत्रता के अधिकार में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में घूमने और रहने की स्वतंत्रता तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल हैं।



प्रश्न-4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है?

उत्तर- संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने और न्याय प्राप्त करने का अधिकार देता है।

प्रश्न-5. मौलिक कर्तव्य क्या हैं?

उत्तर- मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा नागरिकों के लिए निर्धारित नैतिक दायित्व हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्र की एकता, सामाजिक सद्भाव और संविधान के आदर्शों की रक्षा करना है।



7

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त

परिचय

भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना तथा देश को कल्याणकारी राज्य बनाना है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त : अर्थ और प्रकृति

नीति निर्देशक सिद्धान्त

ऐसे सिद्धान्त जो राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं।

ये सिद्धान्त

- सरकार के लिए मार्गदर्शक निर्देश होते हैं।
- संविधान निर्माताओं की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की कल्पना को व्यक्त करते हैं।
- न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।
- फिर भी देश के शासन के लिए मौलिक सिद्धान्त माने जाते हैं।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों का दार्शनिक आधार

- नीति निर्देशक सिद्धान्तों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई।
- इनके विचार और दर्शन के स्रोत:
 - मानव अधिकारों की घोषणाएँ
 - उदारवादी और समाजवादी विचारधाराएँ
 - महात्मा गांधी के विचार

इनका उद्देश्य

- भारत में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना।
- कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना।



राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का वर्गीकरण

नीति निर्देशक सिद्धान्तों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है:

- आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त
- गांधीवादी सिद्धान्त
- अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित सिद्धान्त
- अन्य विविध सिद्धान्त



1. आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त

- राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** हो।
- सभी नागरिकों को **जीविका के पर्याप्त साधन** उपलब्ध हों।
- **संपत्ति और संसाधनों का वितरण** समाज के हित में हो।
- आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि **धन कुछ हाथों में केंद्रित न हो**।
- **पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन** मिले।
- श्रमिकों के **स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा** की जाए।
- बच्चों और युवाओं को **शोषण से बचाया जाए**।

2. गांधीवादी सिद्धान्त

- राज्य **ग्राम पंचायतों की स्थापना** करेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में **कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन** देगा।
- बच्चों को **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** प्रदान करेगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के **शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा** देगा।
- **जन स्वास्थ्य में सुधार** और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाएगा।
- **गाय और दुधारू पशुओं की रक्षा** करेगा।



3. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धान्त


- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को **बढ़ावा** देना।



- अन्य देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
- अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना।
- अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना।

4. विविध नीति निर्देशक सिद्धान्त

- पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास।
- पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों की सुरक्षा।
- न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।



मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अंतर

मौलिक अधिकार	नीति निर्देशक सिद्धान्त
न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं।	न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।
राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं।	राज्य को सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हैं।	समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों और मौलिक अधिकारों में संबंध

- दोनों संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।
- दोनों का उद्देश्य संविधान के आदर्शों को साकार करना है।
- दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
- मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं।
- नीति निर्देशक सिद्धान्त सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं।



राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का क्रियान्वयन

सरकार ने इन सिद्धान्तों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए:

- भूमि सुधार कानून लागू किए गए।



- न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया गया।
- पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए।
- महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम शुरू किए गए।



TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त क्या हैं?

उत्तर- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त ऐसे संवैधानिक निर्देश हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने तथा भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

प्रश्न-2. नीति निर्देशक सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर- इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना तथा एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है।

प्रश्न-3. नीति निर्देशक सिद्धान्तों का वर्गीकरण क्या है?

उत्तर- इनको चार वर्गों में विभाजित किया गया है – आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धान्त, गांधीवादी सिद्धान्त, अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित सिद्धान्त और विविध सिद्धान्त।

प्रश्न-4. मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में क्या अंतर है?

उत्तर- मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धान्त न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और राज्य को सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए मार्गदर्शन देते हैं।

प्रश्न-5. नीति निर्देशक सिद्धान्तों का क्रियान्वयन कैसे किया गया है?

उत्तर- सरकार ने भूमि सुधार, न्यूनतम वेतन कानून, पंचायती राज व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं के माध्यम से इन सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयास किया है।

